संख्या - 011/वी.जी.एल/053-181762
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 23.07.2012

परिपत्र सं0 06/07/12

विषय: सत्यनिष्ठा सन्धि अंगीकरण - मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में ।

आयोग ने दिनांक 18.05.2009 के अपने परिपत्र सं0 10/5/09 के क्रम में, जिसमें बड़े सरकारी विभागों/संगठनों में सत्यनिष्ठा सन्धि के अंगीकरण के लिए "मानक प्रचालन प्रक्रिया" निर्धारित की गई है, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आई.ई.एम.) की नियुक्ति के लिए आयु सीमा मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है । अत:, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक (आई.ई.एम.) के रूप में नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए । तीन वर्षों के प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति पर यदि आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आगे दो वर्षों का कार्यकाल विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा ।

2. तदनुसार, आयोग के दिनांक 18.5.09 के परिपत्र सं0 10/5/09 के पैरा 5 के अंतर्गत एक नया उप-पैरा 5.10 जोड़ा गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :

5.10 *स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक (आई.ई.एम.) के रूप में नियुक्ति के समय व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए । प्रारंभिक तीन वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति पर यदि आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आगे दो वर्षों का कार्यकाल विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा ।*

आयोग के दिनांक 18.5.09 के परिपत्र सं0 10/5/09 में समाविष्ट अन्य प्रावधान पुर्वानुसार रहेंगे ।

ह0/-
(मधु शाम)
उप सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी